

//1//
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 131/2020

उनवान

छोटू पुत्र बख्ता जाति रावत निवासी ग्राम धोलादांता बूबानिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर
बनाम

1. कमला पत्नी रामकरण,
 2. फूलचंद पुत्र रामकरण,
 3. मानसिंह पुत्र रामकरण,
 4. लालचन्द पुत्र रामकरण,
 5. सन्ता पुत्री रामकरण,
 6. हरचन्द पुत्र रामकरण,
 7. धन्नी पुत्री बख्ता समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम धोलादांता बूबानिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
 8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर
- प्रतिवादीगण :- 1 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज. पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 16.8.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता बुबानिया के खाता संख्या 63/60 किता 11 रकबा 2.48, 206/185 किता 2 रकबा 0.16, 65/59 किता 3 रकबा 0.73 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हैं। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते हैं तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।


पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने उक्त वाद में विभाजन का अनुतोष चाहा



है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम धोलादांता बुबानिया के खाता संख्या 63/60 किता 11 रकबा 2.48, 206/185 किता 2 रकबा 0.16, 65/59 किता 3 रकबा 0.73 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



